उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–13/2/91–टी0सी0–का–1–2012
लखनऊ :: दिनांक 08 मई, 2012

दिनांक 08 मई, 2012 को प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012'' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
11. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनुसचिव।

www.bhartiyashasnadesh.org

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–13/2/91–टी0सी0–का–1–2012
लखनऊ :: दिनांक ०8 मई, 2012

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।
		(2) यह 17 जून, 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम–8–क का निकाला जाना	2.	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में नियम–8–क निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

www.bhartiyashasanadesh.org

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-13/2/91-T.C.-ka-1-2012, dated May 08, 2012:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-1

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.13/2/91-T.C.-ka-1-2012

Dated Lucknow, May 08, 2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991 :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS SENIORITY (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Seniority (Fourth Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall be deemed to have come into force on June, 17, 1995.

Omission of rule 8-A 2. In the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, rule 8-A shall be omitted.

By order,

(RAJIV KUMAR)
Principal Secretary

www.bhartiyashasnadesh.org